संख्या-38/2025/265/35-4-2025/35-4099/72/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनाकः24 मार्च, 2025

विषय- जनपद लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में राजकीय पॉलीटेक्निक, कालेज के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-25/2020/264/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रु० 1761.77 लाख (+GST नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं०-30/2021/586/35-4-2021, दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 264.27 लाख, शासनादेश सं0-149/2021/1419/35-4-2021, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 857.06 लाख तथा शासनादेश सं०-272/2022/940/35-4-2022 दिनांक 22 अगस्त, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 352.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। शासनादेश सं0-778/2023/2524/35-4-2023/35-4099/72/2022, दिनांक 27.09.2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य की लागत में GST की धनराशि रू0 227.78 लाख को समाहित करते हुए मूल लागत को धनराशि रू0 1989.55 लाख पर पुनरीक्षित करते हुए धनराशि रू0 227.78 लाख अवमुक्त की गई है। अद्यतन कुल मिलाकर रू0 1901.46 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

2- जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र सं0-1254/त्वरितआर्थिक/बीकेटी/2024-25 दिनांक 30.12.2024 एवं पत्र सं0-245/त्वरितआर्थिक/बीकेटी/2024-25 दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अद्यतन अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण एवं बचत की धनराशि का उल्लेख करते हुए रू0 84.15 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त के आलोक में एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि एवं बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष **रू0 84.15 लाख (रूपये चौरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू० लाख में)

कार्य	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत(वास्तविक जमा GST सहित)	गठित अनुबंध के आधार पर बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज के भवन निर्माण हेतु कार्य।	1761.77 + GST	1989.55	3.94	1985.61	1901.46	84.15

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, 04 मार्च, 2021, 23 सितम्बर, 2021, 22 अगस्त, 2022. व 27 सितम्बर, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्गनत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संख्या को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नयत धनराशि आयकतानुसार आहरित कर की जायेगी और नुसारर्यायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरुप पूर्णता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया और कोई धनराशि अयुत अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ० प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समान के पक्षात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय कर महालेखाकार द्वारा सत्यापित विनियोजन विभागको प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि कार्य करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/24/-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 84.15 लाख (रूपये चौरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 420202104030302 राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/24/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-38/2025/265(1)/35-4-2025/35-4099/72/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक, लखनऊ मण्डल।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0।
9. निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ।
11. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी, लखनऊ।
14. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-3 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।